

## अध्याय-IV

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

#### 4.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र व अन्य दुर्गम क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड संयोजनीयता उपलब्ध कराने के लिये परियोजना पर निष्फल व्यय

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र व अन्य दुर्गम क्षेत्रों के सामान्य सेवा केन्द्रों (सी एस सी) में ब्रॉडबैंड संयोजनीयता उपलब्ध कराने से सम्बंधित परियोजना में त्रुटिपूर्ण योजना, विलम्बित क्रियान्वयन तथा मामलों का गैर समाधान होने के कारण उपकरण का कम उपयोग हुआ और उपकरण निष्क्रिय रहे। परिणामतः परियोजना के लिये एन आई सी एस आई द्वारा औपेक्स पर ₹ 26.46 करोड़ तथा वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी सैट) उपकरण लगाने पर ₹ 8.63 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

दिसम्बर 2008 में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैरी स्माल अपरचर टर्मिनल (वी सैट) का उपयोग करते हुये पूर्वोत्तर व अन्य दुर्गम क्षेत्रों<sup>61</sup> जहां बी एस एन एल की सेवा उपलब्ध नहीं थी, के 2,500 सामान्य सेवा केन्द्रों हेतु ब्राडबैंड संयोजनीयता उपलब्ध कराने के लिये एक परियोजना को प्रशासनिक अनुमोदन दिया। परियोजना को नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकापॉरेटिड (एन आई सी एस आई) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना था। परियोजना के लिये अनुमोदित परिव्यय ₹ 49.88 करोड़ था, इसमें से अनुदान सहायता के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का योगदान ₹ 24.94 करोड़ था। शेष ₹ 24.94 करोड़ आश्वस्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) के रूप में 12 राज्यों को जारी किये जाने थे। अनुमोदित परियोजना अवधि चार वर्ष थी।

सी एस सी के लिए सशक्त समिति (समिति) ने अपनी पांचवी बैठक (दिसम्बर 2008) में परियोजना हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया था। परियोजना में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी) द्वारा वी सैट हब तथा बैंडविथ अवसंरचना के लिये प्रावधान था, जिसके लिये इसे सी एस सी द्वारा मासिक बैंडविथ प्रभार का भुगतान किया जाना था। सी एस सी के लिये वी सैट उपस्कर की अधिप्राप्ति सी एस सी आपरेटर के रूप में कार्यरत सर्विस सेन्टर एजेन्सियों (एस सी ए)/ग्राम स्तर उद्यमियों (वी एल ई) द्वारा सीधे

<sup>61</sup> हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू एवं कश्मीर

नामांकित विक्रेताओं<sup>62</sup> से की जानी थी। इसके अतिरिक्त, इन आपरेटरों को, विक्रेता से बिक्री के बाद सेवा समर्थन की व्यवस्था करनी थी।

समिति ने अपनी 7वीं बैठक जो सितम्बर 2010 में अर्थात् परियोजना के अनुमोदन के 21 माह बाद हुई, में परियोजना की क्रियान्वयन रणनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। एस सी ए/वी एल ई के लिये मूल प्रस्ताव के लागत निहितार्थ<sup>63</sup> के परिप्रेक्ष्य में, इसने वी सैट उपस्कर की अधिप्राप्ति व अनुरक्षण के लिये परियोजना निधि का उपयोग अनुमोदित किया। यह कार्य सी एस सी ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सी एस सी - एस पी वी)<sup>64</sup> को सौंपा गया था जिसे विक्रेताओं के चयन के लिये उचित प्रक्रिया का पालन करना था। उपरोक्त परिवर्तन को क्रियान्वित करने के लिये सी एस सी -एस पी वी को अनुदान सहायता के रूप ₹ 9.32 करोड़ अनुमोदित परियोजना लागत में से संस्वीकृत किये गये थे (मई 2011)। सी एस सी - एस पी वी ने वी सैट की आपूर्ति व अनुरक्षण के लिये मैसर्स ह्यूजेस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड का चयन विक्रेता के रूप में किया था।

सी एस सी- एस पी वी को निधि संस्वीकृत करने के बाद शेष ₹ 40.56 करोड़ की परियोजना निधि का समान रूप से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से एन आई सी एस आई को अनुदान सहायता के रूप में तथा ए सी ए के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाना था। एन आई सी एस आई को जारी अनुदान सहायता से सी एस सी-वी सैट हब की स्थापना नवम्बर 2011 में की गई थी। जनवरी 2015 में एक परिशिष्ट के माध्यम से एन आई सी एस आई द्वारा अर्जित ब्याज, को उसके अनुदान सहायता के भाग से संमायोजित किया गया तथा राज्यों के बीच आबंटित होने वाले ए सी ए, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया था, दिया गया। इस बीच, परियोजना पूर्ण होने की तारीख को पहले दिसम्बर 2012 से दिसम्बर 2013 तथा फिर नवम्बर 2013 से मार्च 2017<sup>65</sup> तक बढ़ा दिया गया था।

परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

- (क) परियोजना शुरू से ही विलम्बों से घिरी हुई थी। एन आई सी एस आई ने नवम्बर 2009 में अर्थात् परियोजना-अनुमोदन के ग्यारह माह बाद, वी सैट

<sup>62</sup> नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में निर्धारित कीमतों पर

<sup>63</sup> वी सैट उपस्कर में निवेश तथा बैंडविथ प्रभागों का भुगतान

<sup>64</sup> इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया विशेष प्रयोजन वाहन

<sup>65</sup> मार्च 2014 तक निष्पादन पूरा करने व मार्च 2017 तक अनुरक्षण के लिये समय-सीमा

सेवा प्रदान करने के लिये अपेक्षित वी सैट आपरेटिंग लाइसेंस प्राप्त किया। इसके बाद, रणनीति-क्रियान्वयन में परिवर्तन से परियोजना की वास्तविक शुरुआत में ढाई साल का विलम्ब हुआ। परिणामतः, परियोजना-पूर्णता में निष्पादन के लिये मार्च 2014 तक तथा अनुरक्षण के लिये मार्च 2017 तक बदलाव चरणों में हुआ। सी एस सी स्थलों पर 2,500 वी सैट के सुनियोजित प्रतिष्ठापन के विपरीत सी एस सी-एस पी वी ने केवल 2,488 वी सैट के लिये आदेश दिये थे तथा केवल 2,384 सी एस सी स्थलों के लिये डब्ल्यू पी सी से निपटान<sup>66</sup> प्राप्त किया था। यद्यपि परियोजना निष्पादन मार्च 2014 तक पूरा किया जाना था, कई स्थलों पर प्रतिष्ठापन इस अंतिम तारीख से भी आगे बढ़ गया और तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अर्थात् मार्च 2017 तक, केवल 1,981 वी सैट ही प्रतिष्ठापित किये गये थे। यह पाया गया था कि विक्रेता मैसर्स ह्यूजस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड ने 507 सी एस सी के लिए वी सैट उपस्कर वितरित ही नहीं किये थे।

- (ख) सी एस सी में प्रतिष्ठापित व प्रारम्भ किये गये वी सैट उपस्कर का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। मार्च 2017 के लिये एन आई सी/एन आई सी एस आई द्वारा किये गये मूल्यांकन से पता चला कि कुल प्रतिष्ठापित वी सैट का केवल 33 प्रतिशत ही उस माह में ऑनलाइन<sup>67</sup> था। दैनिक निष्पादन के विश्लेषण से पता चला कि मार्च 2017 में प्रतिदिन केवल 11-22 प्रतिशत वी सैट ऑनलाइन थे। वी सैट अवसंरचना के उपयोग का निम्न स्तर का कारण वी एल ई और सी एस सी द्वारा संयोजनीयता का तरीका बदलने में डेटा स्पीड बेहतर करने की मांग करना बताया था क्योंकि बी एस एन एल तथा अन्य निजी ऑपरेटरों ने इन दुर्गम क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ा दी थी। इससे पता चलता है कि मंत्रालय ने परियोजना अनुमोदित करते समय संयोजनीयता प्रदान करने के लिये अन्य विकल्पों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था तथा समिति की 7वीं बैठक में (सितम्बर 2010) इन क्षेत्रों में बी एस एन एल द्वारा संयोजनीयता प्रदान करने की सम्भावना से विशेषतौर पर इंकार किया। इसके अतिरिक्त, जब इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से विकसित हो रही थी, परियोजना के क्रियान्वयन में अधिक विलम्ब

<sup>66</sup> बेतार प्रतिष्ठापन करने के लिये दूरसंचार विभाग के बेतार योजना व समन्वय विंग से निपटान

<sup>67</sup> वी सैट जो पूरी अवधि के दौरान, कम से कम एक बार ऑनलाइन थे।

वी-सैट के उपयोग में हानिकारक साबित हुआ क्योंकि इस बीच और बेहतर विकल्प उपलब्ध हो गये थे।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एन आई सी एस आई को ₹ 20.28 करोड़ की देय अनुदान सहायता जारी की, इसका उपयोग वी-सैट हब की अधिप्राप्ति व प्रतिष्ठापन तथा अन्य आपूर्तियों (₹ 9.65 करोड़) के लिये तथा लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम प्रभारों तथा सैटेलाइट प्रभारों के भुगतान के लिये किया गया था। तथापि, ए सी ए के रूप में चिन्हित ₹ 20.28 करोड़ में से एन आई सी एस आई ने, राज्यों द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र (यू सी) प्रेषित न किये जाने तथा 2015-16 से योजना के वित्तपोषण पैटर्न में बदलाव के कारण, केवल ₹ 5.83 करोड़ प्राप्त किये थे। यह पाया गया (मई 2017) कि दो राज्यों ने ₹ 49 लाख का ए सी ए जो कि उन्हें 2014-15 में मंत्रालय द्वारा हस्तांतरित हुआ था, एन आई सी एस आई को नहीं दिया। बैंडविथ अवसंरचना जैसे वी सैट लाइसेंस फीस, ईसरो के लिये सैटेलाइट बैंडविथ प्रभार देने तथा वी-सैट हब के अनुरक्षण पर व्यय के क्षतिपूर्ति के लिये एन आई सी एस आई को ए सी ए भुगतान अपेक्षित थे। ए सी ए भुगतान लम्बित रहने के कारण, एन आई सी एस आई ने निधि की कमी का सामना किया इससे दूरसंचार विभाग को नियमित प्रभारों व ईसरो को सैटेलाइट बैंडविथ प्रभारों का सामयिक भुगतान सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता पर प्रभाव पड़ा तथा कुल मिलाकर, एन आई सी एस आई के लिये परियोजना चलाना कठिन हो गया। यद्यपि उत्तरोत्तर समीक्षा बैठकों में निधि की समस्या को उजागर किया गया था, ए सी ए भुगतान अभी भी बकाया थे (नवम्बर 2020)।

(घ) परियोजना की अवधि को निष्पादन के लिये मार्च 2014 तथा अनुरक्षण के लिये मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया था। यद्यपि मार्च 2017 तक प्रतिष्ठापन केवल 1981 सी एस सी में और वह भी विलम्ब से किया गया था, यह निर्णय लिया गया था कि इस तिथि के बाद परियोजना का विस्तार नहीं किया जाये। दूरसंचार विभाग को भुगतान योग्य लाइसेंस फीस में प्रत्याशित वृद्धि के कारण एन.आई सी एस आई के वी-सैट लाइसेंस वापिस करने, सी एस सी-डिजीटल सेवा प्रारम्भ करने तथा प्रतिष्ठापित वी-सैट के कम उपयोग के कारण यह निर्णय लिया गया। तथापि, ए सी ए जारी न

करने के कारण निधि की कमी को भी परियोजना जारी रखने में कठिनाई पैदा करने में तथा बैंडविथ अवसंरचना हेतु ओपेक्स के लिये सामायिक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित किया गया।

- (ड) परियोजना समीक्षा व संचालन गुप (पी आर एस जी) ने मई 2017 में परियोजना बंद करने की सिफारिश करते हुये निर्णय दिया था कि राज्य परियोजना के उपस्कर का अधिग्रहण करें तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्यों को समर्थन देगा ताकि वे अन्य उपयुक्त सेवा प्रदाताओं के हब के लिये निर्बाध पारगमन कर सकें। तथापि, मंत्रालय ने सूचित किया (नवंबर 2020) कि जब राज्य, वी सैट परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने के लिये प्रयास कर रहे थे, उस समय तक इनका और अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता था क्योंकि दूरसंचार विभाग को वी-सैट लाइसेंस वापिस करने के बाद एन आई सी एस आई हब गैर प्रचालनात्मक बन गया था। राज्यों को सहायता देने के संबंध में यह कहा गया कि वी-सैट लाइसेंस वापिस करने के बाद, राज्यों से कहा गया था कि वे परियोजना परिसंपत्तियों का उपयोग ठीक ढंग से करे जिसके लिए सी एस सी-एस पी वी को राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने के लिये कहा गया था। इसके साथ यह भी कहा गया कि सी एस सी 2.0 परियोजना के प्रारम्भ होने से, सी एस सी को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) अवसंरचना की व्यवस्था करनी थी जिसमें उपलब्ध आई एस पी के माध्यम से संयोजनीयता शामिल है। 1,981 सी एस सी, जिसमें परियोजना के अंतर्गत वी-सैट प्रतिष्ठित किये गये थे, के सम्बंध में मंत्रालय द्वारा दिया गया डाटा यह दर्शाता है कि केवल 1,645 सी एस सी कार्यात्मक थे लेकिन सी एस सी 2.0 परियोजना के अंतर्गत दी गई संयोजनीयता का उपयोग कर रहे थे। शेष 336 सी एस सी कार्यात्मक नहीं थे। इस प्रकार, वी-सैट परिसम्पत्तियों के उपयोग हेतु एक स्पष्ट वैकल्पिक रौडमैप (मार्गदर्शिका) न होने से, परियोजना के अंतर्गत प्रतिष्ठित 1,981 सी एस सी में किसी में भी इन उपस्कर का उपयोग मई 2017 से नहीं किया जा रहा था।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परियोजना में विलम्ब का कारण दूरसंचार विभाग के आवश्यक मंजूरियां लेने में लिया गया समय तथा विक्रेता अर्थात् मैसर्स ह्यूजेस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड की ओर से अप्रत्याशित विलम्ब बताया। विक्रेता

ने इनके लिए दुर्गम क्षेत्रों, प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित बिजली आपूर्ति, कानून और व्यवस्था के मामलों तथा सी एस सी वी-सैट के पुनः उन्मुखीकरण जैसी बाधाओं का उल्लेख किया। परियोजना बंद होने का कारण एन आई सी एस आई के वी सैट लाइसेंस तथा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत नीति-परिवर्तनों से संबंधित मामले बताये गए थे। उपस्कर के निष्क्रिय होने के सम्बंध में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने बाद के जवाब (मार्च 2019) में बताया कि परियोजना बंद होने के बाद “ओ एवं एम तथा बैंडविथ जारी रखने के लिये” राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे “उपयुक्त कार्यपद्धति अपनायें अथवा मार्गदर्शिका तैयार करें” और इसलिये परियोजना बंद होने के बाद वी सैट उपस्कर के निष्क्रिय होने का मामला संबंधित राज्यों के दायरे में आता है। विलम्ब के लिये दिये गये कारण परियोजना शुरू होने के 21 माह बाद क्रियान्वयन रणनीति में संशोधन के कारण प्रारम्भिक विलम्ब को नहीं बताते हैं, यद्यपि इससे यह संकेत मिला कि परियोजना का कार्यान्वयन एस सी ए/वी एल ई जैसे मुख्य हितधारकों तथा राज्यों से भी पर्याप्त परामर्श के बिना लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अधिप्राप्ति व प्रतिष्ठापन में बाद में हुए विलम्ब के लिये बताये गए कारण भली भांति मालूम थे तथा योजना व निष्पादन प्रक्रिया के दौरान इन पर ध्यान दिया जा सकता था। उत्तर में दिये गये कारणों के अतिरिक्त, परियोजना बंद किये जाने के संबंध में कारण जैसे उपस्कर के उपयोग का निम्न स्तर तथा निधि की कमी जैसे कारण भी निर्णय के लिये उत्तरदायी थे। अन्य विभागों व राज्यों के साथ बेहतर योजना व समन्वय के माध्यम से इन सभी मामलों को निपटाया जा सकता था तथा पूरी सक्रियता से विकल्पों का अनुसरण (पालन करना) करके व्यापक वी सैट अवसंरचना का उपयोग कर सकते थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना कि परियोजना बन्द होने के बाद उपस्कर का उपयोग राज्यों के दायरे में था, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परिवर्तित क्रियान्वयन रणनीति ने बैंडविथ प्रभारों के भुगतान पर बैंडविथ अवसंरचना की अधिप्राप्ति व अनुरक्षण दोनों के लिये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उत्तरदायी बनाया। वैकल्पिक रूप से इसे एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने में राज्यों की सहायता करने तथा उपस्कर को निष्क्रिय होने से रोकने के लिये इसके निष्पादन पर निगरानी रखनी चाहिए थी।

इस प्रकार, अपर्याप्त योजना व समन्वय के कारण, 2012 तक दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रांडबैंड संयोजनीयता उपलब्ध कराने का परियोजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया। परियोजना

के अंतर्गत देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित वी सैट उपस्कर जो ₹ 8.63 करोड़ की कुल लागत पर अधिप्राप्त किये गये थे तथा 1,981 सी एस सी में प्रतिष्ठापित किये गये थे, उनका इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया गया और मार्च 2017 में परियोजना बंद होने के समय से निष्क्रिय पड़े थे। इसके अतिरिक्त, मार्च 2017 तक सी एस सी में वी सैट उपस्कर के उपयोग का निम्न स्तर होने के कारण एन आई सी एस आई द्वारा ₹ 26.46<sup>68</sup> करोड़ बैङ्किंग अवसंरचना पर किया गया व्यय भी बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

## 4.2 अविवेकपूर्ण तरीके से निविदा रद्द करना

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आग्रह पर सी-डेक द्वारा निविदा रद्द करने तथा बाद में, पुनः निविदा करने से परियोजना लागत में ₹ 5.37 करोड़ की परिहार्य वृद्धि हुई।**

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के इंडियन कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पॉन्स टीम (सी ई आर टी-ईन) ने प्रगत संगणन विकास केंद्र त्रिवेन्द्रम (सी-डेक-टी) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) (नवम्बर 2015) किया जो कि साइबर-सिक्यूरिटी<sup>69</sup> से संबंधित परियोजना के क्रियान्वयन के लिये था। 01 दिसम्बर 2015 को ₹ 38.50 करोड़ की परियोजना के लिये प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया था जो कि 30 नवम्बर 2016 तक परियोजना पूर्ण करने के सम्बंध में था। मंत्रालय ने सी-डेक-टी को दिसम्बर 2017 तक परियोजना निष्पादन के लिये ₹ 35.00 करोड़ दो भागों में दिये।

सी-डेक-टी ने परियोजना जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त आवश्यक हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, क्रियान्वयन व चालू करना शामिल था, हेतु निविदायें (जनवरी 2016) आमंत्रित की थीं। चार कम्पनियों अर्थात् मैसर्स एच सी एल कामनेट लिमिटेड, मैसर्स सिफी प्रौद्योगिकी लिमिटेड, मैसर्स विप्रो लिमिटेड तथा मैसर्स डाइमेंशन डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रत्युत्तर दिया। परियोजना तकनीकी समिति<sup>70</sup> ने मैसर्स

<sup>68</sup> अनुदान सहायता: ₹ 20.28 करोड़ में से, एच यू बी व आपूर्ति की लागत में ₹ 9.65 करोड़; अर्थात् ₹ 10.63 करोड़; ए सी ए ; एन आई सी एस आई द्वारा प्राप्त ₹ 5.83 करोड़ तथा एन आई सी एस आई के ₹ 10.00 करोड़ के दावे; अर्थात् ₹ 15.83 करोड़; कुल; ₹ 26.46 करोड़।

<sup>69</sup> टेस्टबैड फॉर साइबर थ्रैट्स एण्ड सिचुएशनल एवेयरनेस प्रोजेक्ट

<sup>70</sup> तकनीकी समिति में वैज्ञानिक एफ (अध्यक्ष), वैज्ञानिक ई और परियोजना अभियंता और प्रतिनिधि - वित्त और खरीद (सभी सी-डेक से) और सीईआरटी-इन के प्रतिनिधि शामिल थे।

डाइमेंशन डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बोली स्वीकार नहीं की थी क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंक से मांग पत्र /बैंक गारंटी के रूप में ब्याना राशि (ई एम डी) प्रस्तुत नहीं किया था तथा शेष तीन विक्रेताओं की निविदाओं को स्वीकार किया। परियोजना के लिये वाणिज्यिक बोली मूल्यांकन समिति ने मैसर्स विप्रो लिमिटेड जिसकी बोली ₹ 25.93 करोड़ की थी, को अस्थायी तौर पर एल वन बोलीदाता के रूप में मान्यता (19 मई 2016) दी थी।

सभी निविदा औपचारिकतायें पूरी करने के बाद, मंत्रालय ने अपने एकीकृत वित्त मंडल (आई एफ डी) की सलाह पर सी-डेक-टी को परियोजना के लिये पुनः निविदा देने का निर्देश दिया (जून 2016)। यह पुनः निविदा जारी करने की प्रक्रिया इस आधार पर की गयी कि निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी तथा इस परियोजना के लिये निधि को अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा आबंटित नहीं किया गया था।

सी-डेक-टी ने अक्टूबर 2016 में परियोजना के लिये पुनः निविदा दी तथा केवल दो कम्पनियों अर्थात् मैसर्स विप्रो लिमिटेड तथा मैसर्स डाइमेंशन डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निविदा में भाग लिया था। मैसर्स डाइमेंशन डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निविदा में ₹ 34.49 करोड़ की बोली के साथ एल-वन बोलीदाता के रूप में पाया गया तथा उनकी परियोजना के निष्पादन के लिये क्रय आदेश (मार्च 2017) जारी किये गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि मूल निविदा की तुलना में परियोजना की निम्नतम उद्घृत लागत में ₹ 8.56 करोड़ (₹ 34.49 करोड़ - ₹ 25.93 करोड़) की वृद्धि थी। मात्रा में परिवर्तन तथा क्रय आदेश में शामिल मदों (मूल निविदा की तुलना में) का गुणन करने के बाद, परियोजना की लागत में निवल वृद्धि पुनः निविदा देने के कारण ₹ 5.37 करोड़ बनती थी।

परियोजना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2018) के आधार पर निम्न अवलोकन किया गया:

क. मूल निविदा में तकनीकी मूल्यांकन के पूरा होने और वाणिज्यिक बोलियों के खुलने के बाद, सी ई आर टी-इन ने मंत्रालय को (18 मई 2016) जानकारी के लिए मूल निविदा में बोलीदाताओं/ मूल उपकरण निर्माता द्वारा उठाए गए मुद्दों की सूचना तथा निविदा की वस्तुस्थिति प्रस्तुत की। मंत्रालय ने अपने आई एफ डी की सलाह पर, परियोजना का पुनः निविदा करने की माँग इस आधार पर



की, क्योंकि निविदा प्रक्रिया के संबंध में शिकायतें थी और इससे भविष्य में कानूनी जटिलताओं से भी बचा जा सकता था।

- ख. प्रत्युत्तर में, सी- डैक-टी ने शिकायतों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की तथा निविदा देने की पूर्ण प्रक्रिया की व्याख्या की। शिकायतों में उठाये गये सभी मुद्दों पर ध्यान दिया गया और यह बताया गया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्याय संगतता, समान रूप से की गई और पूर्ण कार्यपद्धती प्रणाली का पालन किया गया। महानिदेशक, सी ई आर टी - इन ने मंत्रालय (08 जून 2016) को अपनी प्रस्तुति में रिपोर्ट को समर्थन दिया। तथापि आई एफ डी ने दो नए आधारों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी शिकायतें थी कि वाणिज्यिक बोली खुलने के बाद तकनीकी विनिर्देशनों को बदल दिया था। साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा निधि अभी आवंटित भी की जानी थी तथा परियोजना को पुनः निविदा देने के लिए अपनी सलाह दोहराई थी।
- ग. व्यावसायिक बोलियों के खुलने के बाद तकनीकी विनिर्देशनों में बदलाव के मुद्दों पर, महानिदेशक, सी ई आर टी - इन ने स्पष्ट किया (11 जुलाई 2016) कि बोली प्रस्तुत करने के बाद कोई ऐसे बदलाव नहीं किए गए। उन्होंने यह सूचित किया कि सी-डैक और सी ई आर टी - इन द्वारा प्राप्त कोई भी शिकायत इस संबंध में नहीं है। तथापि मंत्रालय ने, आई एफ डी की सलाह पर अपने फैसले को बरकरार रखा, जो परियोजना को पुनः निविदा देने के संबंध में थी।
- घ. परियोजना को पुनः निविदा देने का निर्देश देते समय, मंत्रालय और आई एफ डी ने न तो विभिन्न शिकायतों में उठाए गए मुद्दों का और न ही सी-डैक-टी और सी ई आर टी-इन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों का विश्लेषण किया। इसके बजाय इसकी जांच तथा निष्कर्ष, दोनों की प्रकृति संक्षिप्त थी और मुख्यतः पारदर्शिता का उल्लंघन व संभावित भविष्य की कानूनी जटिलताओं के उल्लंघन के बारे में सामान्य चिंताओं पर आधारित थे। यह नोट किया गया कि यद्यपि आई एफ डी ने प्रारंभिक चरण में पुनः निविदा देने की सलाह दी थी, इसने सी ई आर टी - इन तथा शिकायतकर्ताओं दोनों की स्थिति समझने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता को भी उजागर किया था। इसके अलावा सी ई आर टी-इन का उपरोक्त (ग) में दिया स्पष्टीकरण, बिना किसी कारण बताए अस्वीकार किया गया।

- ड. वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों के गैर आबंटन के पहलू पर, यह देखा गया कि मंत्रालय ने दिसंबर 2015 के दौरान परियोजना के लिए ₹ 15.00 करोड़ पहले ही जारी कर दिए थे और 2016-17 के लिये बजट अनुमान (बी ई) में साइबर सुरक्षा हेतु निधि का प्रावधान रखा गया था। निधि आबंटन के संबंध में स्थिति, जब अक्टूबर 2016 में परियोजना को पुनः निविदा पर दिया गया था, तब भी अपरिवर्तित रही।
- च. सात महीने की अवधि के भीतर पुनः निविदा पर देने के कारण परियोजना लागत में ₹ 5.37 करोड़ की वृद्धि हुई, यद्यपि दोनों निविदाओं के बीच दूसरी निविदा में कुछ अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल किए जाने के अलावा कोई अंतर नहीं था, जिसे लागत में वृद्धि की गणना के लिए नेटआउट (कम) किया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त को इंगित किए जाने पर, एम ई आई टी वाई ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि परियोजना अत्यन्त तकनीकी व जटिल थी और पुनः निविदा दिए जाने से बोली लगाने वालों के द्वारा परियोजना की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा गया। एम ई आई टी वाई ने परियोजना को निविदा पर देने से संबंधित दो शिकायतों के मुद्दे भी बताये जिनके परिणामस्वरूप आई एफ डी ने भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुनः निविदा पर देने की सलाह दी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि बोली से पूर्व के चरण में बोलीदाताओं द्वारा उठाई गई शंकाओं और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखने के बाद परियोजना के लिए अनुरोध प्रस्तावों (आर एफ पी) को बनाया गया था। इसके अलावा परियोजना तकनीकी मूल्यांकन समिति ने परियोजना से संबंधित आवश्यकताओं की बेहतर समझ सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं के साथ कई बैठकें की। इस प्रकार यह उत्तर कि पुनः निविदा देने के कारण बोलीदाताओं द्वारा टी एस ए पी की आवश्यकताओं की बेहतर समझ सुनिश्चित हुई, स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जैसा कि मूल निविदा प्रक्रिया में भी संबंधित ऐजेन्सियों ने यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये थे कि सभी बोली दाता आर एफ पी की आवश्यकताएँ पूरी करें। निविदा प्रक्रिया पर शिकायतों के संबंध में, सी-डैक-टी व सी ई आर टी- इन, दोनों ने स्पष्टीकरण और शिकायतों के मुद्दों पर

ध्यान देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि मूल निविदा में जी एफ आर प्रावधानों की अनुपालना की गई थी।

इस प्रकार, शिकायतों की जाँच करते समय मुद्दों पर अपर्याप्त विचार के कारण मंत्रालय ने इस परियोजना को पुनः निविदा पर देने के लिए निर्णय जल्दबाजी में लिया, जिससे मूल निविदा की तुलना में ₹ 5.37 करोड़ की परियोजना लागत में वृद्धि हुई। इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण परियोजना में वास्तविक समय सीमा से तीन वर्षों की देरी हुई और इसे केवल अप्रैल 2020 में सी ई आर टी - इन को सौंपा जा सका।

#### 4.3 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (रा.सू.वि.के.) द्वारा 'वेब होस्टिंग प्रभारों की गैर-वसूली

पटना, जम्मू, रायपुर एवं दिल्ली स्थित एनआईसी राज्य केन्द्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों हेतु वेब होस्टिंग प्रभारों के बिल जारी करने में असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.69 करोड़ की प्रदत्त सेवाओं की गैर-वसूली हुई।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने दिनांक 12 फरवरी, 2009 के अपने परिपत्र द्वारा "एनआईसी भुगतान सेवाओं" के सन्दर्भ में समेकित स्पष्टीकरण जारी किये जिसमें सेवार्य प्रदान करने हेतु प्रभार नहीं लिए जाने वाले मंत्रालयों/ विभागों<sup>71</sup> तथा प्रभार लिए जाने वाले संगठनों की पहचान की गयी थी। परिपत्र के अनुसार वेब होस्टिंग प्रभार, सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों (स्वा.नि.) जो केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित न हो तथा केन्द्र/ राज्य सरकारों के अतंगत स्वायत्त/ सांविधिक निकायों तथा संस्थाएं जो प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त आंतरिक राजस्व भी सृजित करती हो, से वसूल किया जाना था। परिपत्र में वेब होस्टिंग प्रभार को सम्मिलित करते हुए विभिन्न सेवाओं हेतु लागू प्रभारों तथा प्रभारों की बिलिंग एवं वसूली की प्रक्रिया को भी अधिसूचित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा देश भर के 36 एनआईसी राज्य केंद्रों में से 21 में वेब-होस्टिंग प्रभारों की वसूली के संदर्भ में उपरोक्त परिपत्र के क्रियान्वयन की जांच की गयी। इस जांच से ज्ञात हुआ कि पटना, जम्मू, रायपुर और दिल्ली स्थित राज्य एनआईसी केन्द्रों ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और गैर-मुक्त स्वायत्त निकायों को वेब होस्टिंग सेवाएं प्रदान की, परंतु प्रदान की गई सेवाओं के लिये कोई बिल प्रभारित नहीं किया जिसके

<sup>71</sup> केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सम्बद्ध कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के आधीन कार्यालय जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है, राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं कार्यालयों, बिना आंतरिक राजस्व उपार्जित स्रोतों वाले केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित संविधिक निकाय

परिणामस्वरूप इन प्रभारों की वसूली नहीं हुयी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल वसूली योग्य धनराशि ₹ 4.41 करोड़ थी। वसूली योग्य वेब होस्टिंग प्रभारों का राज्य/केन्द्रवार सार तालिका 4.3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.1: वसूली योग्य वेब होस्टिंग प्रभारों का विस्तृत वर्णन

एनआईसी राज्य केन्द्र		समय अवधि	वसूली योग्य धनराशि (₹ में )
1	एनआईसी, पटना	जुलाई, 2009 से मार्च, 2019	13,26,919
2	एनआईसी, जम्मू	अक्टूबर, 2003 से मार्च, 2019	23,71,500
3	एनआईसी, रायपुर	अप्रैल, 2008 से मार्च, 2019	44,26,344
4	एनआईसी, दिल्ली	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2019	3,59,40,748
कुल			4,40,65,511

उपरोक्त विभिन्न राज्य केंद्रों के सम्बन्ध में एम ई आई टी वाई, ने अपने उत्तर (मई 2019) में कहा कि जम्मू और रायपुर स्थित एनआईसी केंद्रों के प्रकरण में संबंधित पीएसयू/स्वायत्त निकायों के साथ वेब सेवाओं के भुगतान के मामले में कार्यवाही की जा रही है। एनआईसी, दिल्ली से सम्बंधित प्रकरण में यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, एनआईसी को ज्ञात हुआ कि पीएसयू और स्वायत्त निकायों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवा सहयोग प्रदान करने हेतु उसका बुनियादी ढांचा पर्याप्त नहीं था और इस कारण एनआईसी सर्वर से अधिकतर पीएसयू हेतु सेवायें बंद कर दी गयी थीं। यह भी सूचित किया गया कि एनआईसी, 12 फरवरी 2009 के परिपत्र के अनुसार सेवाओं के वास्तविक उपयोग के आधार पर उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गयी सेवाओं के लिए प्रभारों की वसूली की प्रक्रिया में था। तत्पश्चात् जनवरी 2020 में एक लेखापरीक्षा जांच में लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के आधार पर ₹ 1.72 करोड़ की राशि वसूली जा चुकी थी।

तथापि, मंत्रालय का उत्तर, यह स्पष्ट नहीं करता है कि इस मामले में स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उपरोक्त तालिका में सम्मिलित एनआईसी केंद्रों ने होस्टिंग प्रभारों के लिए बिल क्यों जारी नहीं किए। मंत्रालय द्वारा दिल्ली केंद्र के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण कि 2014-15 के दौरान इसने अधिकांश पीएसयू की वेब होस्टिंग सेवाएं बंद कर दी थीं, भी मान्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध विवरण से यह पता चला कि इन सेवाओं को 111 इकाइयों के लिए जारी रखा गया था तथा सेवायें बंद करने हेतु कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि यद्यपि एनआईसी ने लेखापरीक्षा

टिप्पणी के आधार पर वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, फिर भी इसके दिल्ली केन्द्र में ₹ 1.87 करोड़ की गैर-वसूली शेष रहती है। लेखापरीक्षा द्वारा एनआईसी के 2009 के आदेशों की गैर-अनुपालना इंगित करने के उपरान्त ही अन्य केन्द्रों ने भी अपने वसूली के दावे जारी किये थे।

इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं कुछ वर्गों के स्वायत्त निकायों को एनआईसी द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के प्रभारों की बिलिंग हेतु जारी किये गए निर्देशों के अनुपालन में एनआईसी केन्द्रों की विफलता के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों जिनकी वेबसाइटें एनआईसी द्वारा होस्ट की जा रही थीं, से ₹ 2.69 करोड़ की वेब होस्टिंग प्रभारों की वसूली नहीं हो पाई।

#### 4.4 एजेंसी कमीशन का परिहार्य भुगतान

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.द.प्र.नि.) के माध्यम से प्रिंट मीडिया विज्ञापन को प्रकाशित करने के भारत सरकार के अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी) की विफलता के परिणामस्वरूप वि.द.प्र.नि. के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को ₹ 1.21 करोड़ (एजेंसी कमीशन ₹ 1.06 करोड़ व सेवा कर ₹ 0.15 करोड़) का परिहार्य भुगतान किया गया।

भारत सरकार के विद्यमान आदेशों<sup>72</sup> के परिप्रेक्ष्य में, सभी मंत्रालयों/ विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (पीएसयू) और स्वायत्त निकायों (स्वा.नि.) के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वि.द.प्र.नि.) के माध्यम से समस्त प्रिंट मीडिया विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है जिसके लिये वि.द.प्र.नि. द्वारा संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में 15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन पुनर्निवेशित किया जाता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग (एनईजीडी), जो डिजिटल इंडिया कारपोरेशन (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के अंतर्गत एक स्वतंत्र उद्यम प्रभाग है, ने सरकारी अनुदेशों का उल्लंघन किया तथा 2015-16 एवं 2016-17 की कालावधि में

<sup>72</sup> डी ए वी पी की नई विज्ञापन नीति (जून 2006) जो संशोधित होकर प्रिंट मिडिया विज्ञापन नीति (जून 2016) है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या 1/9/2009-MUC दिनांक 13 जून 2013 तथा कैबिनेट सचिव के अ.शा. पत्रांक 331/2/2/2014-CA III/ CA V दिनांक 30 सितम्बर 2016 जो कि सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी को भेजा गया था।

वि.द.प्र.नि. के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को विज्ञापन दिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ (एजेंसी कमीशन ₹ 1.06 करोड़ व सेवा कर ₹ 0.15 करोड़) का परिहार्य व्यय हुआ।

एम ई आई टी वाई ने कहा (फरवरी 2019) कि डिजिटल इंडिया सप्ताह का 01 जुलाई 2015 को प्रमोचन होने संबंधी सूचना 19 जून 2015 को ही प्राप्त हुई थी एवं विज्ञापन प्रकाशित करने का अनुमोदन 26 जून 2015 को प्राप्त हुआ था। मीडिया योजनाओं के प्रस्तुतिकरण एवं विज्ञापनों को प्रकाशित करने में वि.द.प्र.नि. को न्यूनतम पाँच कार्य दिवस लगते हैं तथा प्रमोचन हेतु पाँच से कम कार्यदिवस शेष थे। कार्य की अधिक मात्रा एवं इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु उपलब्ध सीमित समय को देखते हुए यह कार्य एक एजेंसी को सौंपा गया। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2016 के बाद से सरकारी आदेशों की पूर्ण अनुपालना की गई एवं सभी समाचार पत्र विज्ञापनों को केवल वि.द.प्र.नि. के माध्यम से ही प्रकाशित किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर निम्न कारणों से यथार्थपूर्ण नहीं हैं:

- (क) डिजिटल इंडिया सप्ताह के प्रमोचन की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मार्च 2015 में तैयार की गयी थी एवं मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक अनुमोदन 28 मार्च 2015 को दिया गया था। इस प्रकार एनईजीडी के पास कार्यक्रम की योजना के लिये 3 माह से अधिक का समय था।
- (ख) एनईजीडी का उत्तर कि अनुमोदन 26 जून 2015 को प्राप्त हुआ था, मान्य नहीं है क्योंकि यह एनईजीडी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का एक आंतरिक अनुमोदन मात्र था जबकि मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन बहुत पहले ही दिया जा चुका था। आंतरिक अनुमोदनों / प्रक्रियाओं को समय से पूरा किया जाना अपेक्षित था एवं विज्ञापनों को विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, वि.द.प्र.नि. द्वारा प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता था।
- (ग) इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का प्रमोचन 01 जुलाई 2015 को होने से संबंधी सूचना एनईजीडी को 19 जून 2015 को प्राप्त हो गई थी। 19 जून 2015 से 01 जुलाई 2015 तक, एनईजीडी के पास वि.द.प्र.नि. के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु स्पष्ट रूप से सात कार्यदिवस थे।
- (घ) मंत्रालय का यह उत्तर कि वर्ष 2016 से इस संबंध में अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जा रहा है, भी सही नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि डिजिटल

इंडिया सप्ताह कार्यक्रम के प्रमोचन के पश्चात् भी, जुलाई 2015 से फरवरी 2017 के दौरान, एनईजीडी ने विज्ञापनों का कार्य वि.द.प्र.नि. के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को आवंटित किया है।

इस प्रकार, वि.द.प्र.नि. के माध्यम से प्रिंट विज्ञापन प्रकाशित करवाने में एनईजीडी की असफलता के कारण निजी एजेंसियों को सेवा कर सहित कुल ₹ 1.21 करोड़ के एजेंसी कमीशन का परिहार्य भुगतान हुआ।

#### 4.5 सी-डैक द्वारा अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान

वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु आदेश के विस्तार के बिना सी-डैक द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 व 2016-17 हेतु ₹ 97.70 लाख का तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान, जिसको सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूल किये जाने की आवश्यकता है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, प्रतिवर्ष पात्र केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु आदेश जारी किया जाता है। साथ ही स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस भत्तों के भुगतान को प्रतिबंधों<sup>73</sup> के लिए विस्तार करते हुए 2014-15 तक पृथक आदेश जारी किये गये थे। 2014-15 के पश्चात् स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान के विस्तार हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गए थे।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक) एक स्वायत्त संस्था है। सी-डैक के 11 केन्द्रों<sup>74</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि इन केन्द्रों के वर्ग “ख” व “ग” के समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 व 2016-17 हेतु ₹ 97.70 लाख का तदर्थ बोनस संवितरित किया गया था, यद्यपि वित्त मंत्रालय द्वारा इन दो वर्षों के लिए स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु कोई आदेश जारी नहीं किये गए थे।

<sup>73</sup> केंद्र सरकार द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ऐसे स्वायत्त निकाय जो केंद्र सरकार के अनुरूप एक वेतन संरचना एवं परिलब्धियां रखते हैं तथा कोई बोनस, अनुकम्पा अथवा प्रोत्साहन योजना व्यवहार में नहीं है।

<sup>74</sup> बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, मोहाली, कोलकाता, सिल्चर, मुंबई, पुणे तथा तिरुवनंतपुरम स्थित सी-डैक केंद्र

अपने उत्तर में (सितम्बर 2019/सितम्बर 2020) एम ई आई टी वाई ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 हेतु तदर्थ बोनस के भुगतान की पुष्टि की तथा कहा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के उपरान्त उत्तरवर्ती वर्षों के लिये भुगतानों पर रोक लगा दी गयी थी। विभाग ने इस आधार पर भुगतानों को न्यायसंगत बताया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था होने के कारण भारत सरकार के कर्मचारियों हेतु लागू तदर्थ बोनस को इसने अपने उपनियमों के अनुसार अंगीकृत कर लिया था। अन्य बातों के साथ-साथ इसने यह भी कहा कि प्रचलन के कारण पात्र कर्मचारियों को यह भुगतान प्रतिवर्ष किया जा रहा था और इसे वापस लेना कर्मचारियों का असंतोष का कारण हो सकता था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी-डैक जैसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को देय तदर्थ बोनस, वित्त मंत्रालय के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भुगतान में विस्तार देने के आदेशों मात्र पर आधारित था। सी- डैक द्वारा भुगतान अनियमित था क्योंकि 2015-16 से आगे स्वायत्त निकायों के तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु कोई आदेश में विस्तार जारी नहीं किया गया था। वित्त मंत्रालय ने भी पुष्टि की है (अगस्त 2020) कि 2015-16 से आगे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के भुगतान में विस्तार देने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया था तथा इस प्रकार के आदेशों के विस्तार की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु कर्मचारी संघों आई.सी.ए.आर. तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कर्मचारी संघ द्वारा प्राप्त निवेदन पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ था।

यह भी इंगित किया जाता है कि एक ही मंत्रालय के अन्तर्गत स्थापित इसी तरह के अधिकतर अन्य स्वायत्त निकायों ने वित्त मंत्रालय के विशिष्ट आदेशों के अभाव में तदर्थ बोनस के भुगतान नहीं किये। यह भी देखा गया था कि सी-डैक ने बताया था कि इसने नियमितीकरण हेतु एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा था। तथापि, न तो भुगतान को नियमित करने के लिए कोई कार्रवाई की गयी थी न ही कोई वसूली की गयी।

अतः वित्त मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकायों को तदर्थ बोनस के भुगतान हेतु आदेश के विस्तार के बिना सी-डैक द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लिये ₹ 97.70 लाख के तदर्थ बोनस का भुगतान अनियमित था जिसको वसूल अथवा नियमित करने की आवश्यकता है।



